Centre for Advocacy and Research

Azim Premji University

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय
COVID-19 आजीविका सर्वेक्षण

दिल्ली (शहर)

कोरोना-तालाबंदी के चलते, रोज़गार और आजीविका पर पड़े असर और इससे राहत पाने के लिए घोषित सरकारी योजनाओं को समझने के लिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीएफएआर) के साथ मिलकर दिल्ली (शहर) के २४० उत्तरदाताओं का एक विस्तृत फ़ोन सर्वेक्षण किया।

उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि के द्वारा किया गया था जिससे उनके कार्य और स्थान में विविधता सुनिश्चित की जा सके।यह प्रतिदर्श (सैंपल) राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

यहाँ प्रस्तुत डाटा १७ अप्रैल, २०२० और १४ मई, २०२० के बीच एकत्रित किया गया था। यह सर्वेक्षण परिणाम राज्य-स्तरीय संक्षिप्त जानकारी की एक श्रृंखला का हिस्सा है। विस्तृत जानकारी cse.azimpremjiuniversity.edu.in पर उपलब्ध है।

मुख्य निष्कर्ष

७३%
श्रमिकों ने अपना रोज़गार खोया है |

६३%
तक गैर-कृषि स्व-रोज़गार और दिहाड़ी मजदूरों की औसत कमाई गिर गई।

४ में से ३
परिवारों के पास एक हफ्ते भर के ज़रूरी सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।

१० में से ९
है परिवारों ने बताया कि पहले की तुलना में वह अब कम खाना खा रहे हैं।

३२%
वंचित परिवारों को राशन मिला।

७३%
वंचित परिवारों को नकद अंतरण (ट्रांसफर)नहीं मिला।

राहत उपायों की घोषणा

एसएमएस के माध्यम से सर्वेक्षण उत्तरदाताओं को राहत उपाय की जानकारी भेजी गई थी।

केंद्रीय स्तर

* हर परिवार को प्रति व्यक्ति ५ किलो अनाज (चावल/गेहूँ) और प्रति परिवार १ किलो दाल अप्रेल से जून 2020 तक हर महीने मुफ्त दिया जाएगा । यह नियमित राशन के अतिरिक्त है जो उन्हें मिलता रहेगा।
* अप्रेल से जून 2020 तक, हर महीने, महिला जन धन खाता धारकों के खाते में रु 500 की राशि जमा की जाएगी।
* पीएम-किसन योजना की प्रथम किश्त (रु २०००) अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में दी जाएगी।

राज्य स्तर

* कोरोना बीमारी से बचाव में लगे अगर किसी सीमावर्ती कार्यकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को रु ४ लाख मुआवज़ा मिलेगा।अप्रैल के दूसरे सप्ताह में गैर राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों में मुफ्त राशन (५ किग्रा) मिलेगा । लोग इसके लिए यहां पंजीकरण करा सकते हैं ration.jantasamvad.org/ration/
* पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को रु ५००० की एक बार की राशि प्राप्त होगी।
* परिवहन सेवा प्रदाता जैसे ऑटो, ई-रिक्शा, आरटीवी और ग्रामीण सेवा के ड्राइवर को रु ५००० की एक बार की राशि प्राप्त होगी।

Source : covid19socialsecurity.wordpress.com/relief-measures

अनुशंसाएँ

* पीडीएस प्रणाली को सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बनाया जाना चाहिए और विस्तारित राशन को कम से कम अगले छह महीनों के लिए बांटना चाहिए।
* दो महीने के लिए कम से कम रु 7000 का नकद हस्तांतरण (ट्रांसफर) दिया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में मांग को वापस लाने के लिए बड़े हस्तांतरण की आवश्यकता है।
* नकद हस्तांतरण की पहुंच का विस्तार करने के लिए मनरेगा, पीएम उज्जवला, पीडीएस और स्थानीय पंजीकरण से जानकारी का उपयोग करें।
* शहरी गरीबों के लिए कार्यक्रमों पर जोर देने की जरूरत है।
* मध्यम अवधि में, मनरेगा के विस्तार, शहरी रोजगार गारंटी की शुरुआत और सार्वभौमिक बुनियादी सेवाओं में निवेश जैसे सक्रिय कदमों की जरूरत है।

आजीविका पर प्रभाव

यह भाग तालाबंदी के चलते काम और कमाई पर पड़े असर को समझने की कोशिश करता है । तालाबंदी लागू होने के बाद के रोज़गार और कमाई की स्तरों को माप कर हमने इनकी तुलना फरवरी के आंकड़ों से की है।

चित्र १: श्रमिक जिन्होंने अपना रोजगार खोया है (गतिविधि की स्थिति के अनुसार

n=२२६

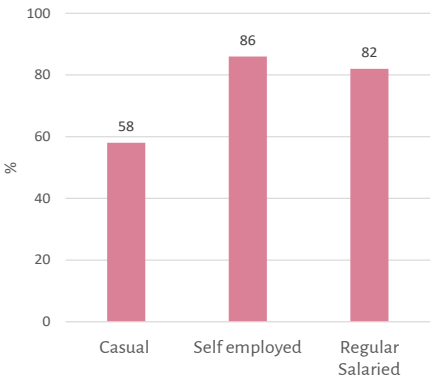

७३% श्रमकिों ने अपना रोज़गार खोया है, स्वरोजगार कर्मी सबसे अधकि प्रभावति , ८६% ने अपना रोज़गार खोया है।

८२% वेतनभोगी कर्मचारयिों ने अपना रोज़गार खोया।

दहिाड़ी मज़दूर और स्वरोज़गार गैर कृषकिर्मी की औसत कमाई मैं ६३% गरिावट।

पुरुषों की तुलना में ज़्यादा महलिाओं ने रोज़गार खोया है।

ये संकट जल्द से जल्द समाप्त हो जिससे मजदूर वर्ग की समस्याएँ समाप्त हो | दूसरे शहर मे हम कमाने ही आए है और यहाँ भी काम न मिले तो अपना और परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है | इन दिनों घर भी नहीं जा सकता और घर पर भी आर्थिक समस्या हो रही है | दिहाड़ी मजदूरों को महीने में अधिकतम 20-22 दिन मजदूरी मिल पाता है और इससे ही 2 जगहों का खर्चा चलाना पड़ता है |गाँव में काम धंधा नहीं है इसलिए यहाँ इतनी दूर आए हैं |
(पुरुष, ३५, दिहाड़ी मज़दूर)

चित्र २: मजदूरी करने वाले कर्मचारी जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया है (%)

n=२२६

घरों पर प्रभाव

यह भाग यह देखता है परविारों पर, खासकर उनके भोजन के सेवन अथवा कर्ज़े और बचत की स्तथिि पर, तालाबंदी के कारण क्या प्रभाव पड़ा।

चित्र ३ : प्रवासी परिवारों के घरों में तालाबंदी का असर (%)

n=१६३

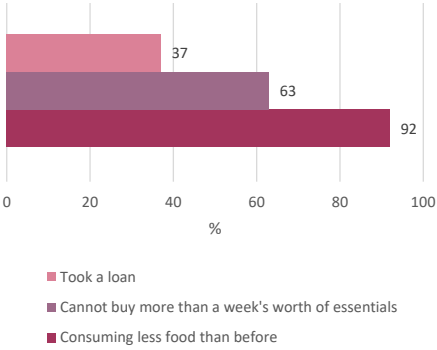

९२% प्रवासी मज़दूरो ने कहा की उन्होंने अपने खाने की मात्रा में कमी की है।

४ में से ३ परविारों के पास एक हफ्ते के लायक ज़रूरी सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।

३७% परविारों को तालाबंदी के वजह से कर्ज़ा लेना पड़ा।

९६% परविार अगले महीने का करिया नहीं दे सकते।

राहत योजनाओं की पहुँच

यह भाग सरकार द्वारा घोषित राहत उपायों की पहुंच और प्रभाव का अध्ययन करता है। हम राशन की उपलब्धता, लाभार्थियों को नकद हस्तांतरण और कमजोर परिवारों को मिलने वाले लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

आधे से ज़ादा वंचित परिवारों को राशन नहीं मिला।

७०% प्रवासी मज़दूरों को राशन नहीं मिला।

७८% वंचित परिवारों के पास जन धन खता नहीं था। जिनके पास था उनमे से ७४% को नकद हस्तांतरण मिला।

७३% वंचित परिवारों को किसी भी प्रकार का नकद हस्तांतरण नहीं मिला।

चित्र ४: वंचित परिवार जिन्हे तालाबंदी के दौरान राशन और जन धन ट्रांसफर मिला (%)

n=१६३

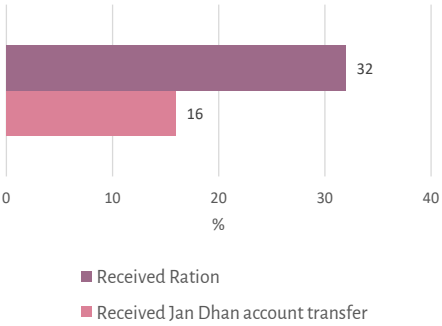

सर्वेक्षण कवरेज

४७% प्रतिवादी पुरुष थे ४५% महिला और ८% ट्रांसजेंडर।

८१% प्रतिवादी हिन्द थे और ९% मुस्लिम।

८२% वंचित परिवार थे, यानी फरवरी महीने में परिवार के लोगों ने रु १०,००० से कम कमाया।

५३% प्रतिवादी प्रवासी मज़दूर थे।

चित्र ५: फरवरी के महीने में उत्तरदाताओं की गतिविधि (%)

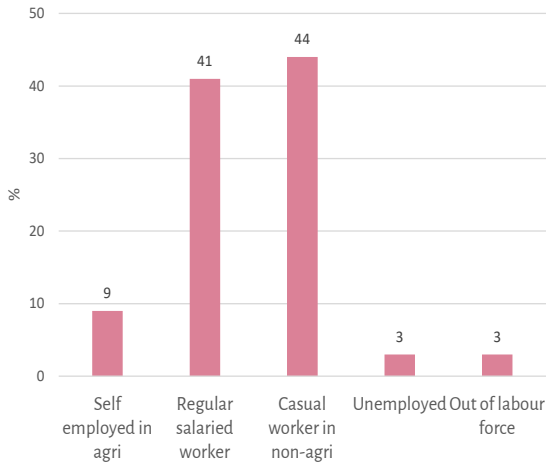

राज्य में हो रहे अन्य सर्वेक्षणों के परिणाम

* नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनोमिक रिसर्च द्वारा किए गए एक आर्थिक अनुसंधान अध्ययन के अनुसार, २९.३% घरों में भोजन, खाना पकाने के ईंधन और दवा में कमी का अनुभव किया।
* CPI (M) -CITU द्वारा किए गए एक टेलीफोनिक सर्वेक्षण में पाया गया कि दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों को एक बड़े खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा था, अधिकतर प्रतिवादी भुकमरी की कगार पर थे।
* फरजाना अफरीदी, अमृता ढिल्लन और सांचारी रॉय के अध्ययन के अनुसार, ८५% प्रतिवादी जिनके पास तालाबंदी से पहले रोज़गार था, तालाबंदी के दौरान अपने मुख्य काम से कुछ नहीं कमा पाए, जबकि आधे (५३%) से ज़्यादा वह लोग जो २४ मार्च के पहले रोज़गार में थे, उनको मार्च के महीने की पूरी तन्खा नहीं मिली।
* इंडस एक्शन, ऑय ऑय टी-दिल्ली और जन साहस द्वारा आयोजित शोध में अन्य राज्यों के साथ-साथ दिल्ली पर पड़े कोरोना के प्रभाव की भी व्याख्या की गयी है।

देश भर में किए गए विभिन्न कोविड़-19 सर्वेक्षणों और अध्ययनों के संकलन के लिए कृपया देखें: *cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impactand-relief-measures/#other_surveys*

सवाल के लिए: **Centre for Sustainable Employment, Azim Premji University**
cse.azimpremjiuniversity.edu.in | cse@apu.edu.in